



THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

18 AASHADH 1947 (S)

No. 331

RANCHI WEDNESDAY 9th JULY, 2025

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

9th July, 2025

Notification No.- 22/2024 – State Tax

S.O. No. 21, Dated 9th July, 2025:- In exercise of the powers conferred under the section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure for rectification of order, to be followed by the class of registered persons (hereinafter referred to as the said person), against whom any order under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act has been issued confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed, namely:-

2. The said person shall file, electronically on the common portal, within a period of six months from the date of issuance of this notification, an application for rectification of an order issued under section 73 or section 74 or section 107 or section 108 of the said Act, as the case may be, confirming demand for wrong availment of input tax credit, on account of contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of section 16 of the said Act, and where appeal against the said order has not been filed.

3. The said person shall, along with the said application, upload the information in the proforma in **Annexure A** of this notification.
4. The proper officer for carrying out rectification of the said order shall be the authority who had issued such order, and the said authority shall take a decision on the said application and issue the rectified order, as far as possible, within a period of three months from the date of the said application.
5. Where any rectification is required to be made in the order referred to in paragraph 1 and, the said authority has issued a rectified order thereof, then the said authority shall upload a summary of the rectified order electronically –
 - (i) in FORM GST DRC-08, in cases where rectification of an order issued under section 73 or section 74 of the said Act is made; and
 - (ii) in FORM GST APL-04, in cases where rectification of an order issued under section 107 or section 108 of the said Act is made.
6. The rectification is required to be made only in respect of demand of such input tax credit which has been alleged to be wrongly availed in contravention of provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act, but where such input tax credit is now available as per the provisions of sub-section (5) or sub-section (6) of the said section 16.
7. Where such rectification adversely affects the said person, the principles of natural justice shall be followed by the authority carrying out such rectification.

Annexure A

Proforma to be uploaded by the registered person along with the application for rectification of order under special procedure for rectification of order notified under section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)

1. Basic Details:

- (a) GSTIN:
- (b) Legal Name:
- (c) Trade Name, if any:
- (d) Order in respect of which rectification application has been filed:
 - (1) Order Reference Number:
 - (2) Order Date:

2. Details of demand confirmed in the said order:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGST	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

3. Out of the amount mentioned in the Table in serial number 2 above:

- (a) the details of the demand confirmed in the said order, of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section 16, which is now eligible as per sub-section (5) of section 16 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (the said Act):

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGS T	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	Total							

and/or

- (b) the details of the demand confirmed in the said order of the input tax credit wrongly availed on account of contravention of sub-section (4) of section 16, other than that mentioned in (a) above, which is now eligible as per sub-section (6) of section 16 of the said Act:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Financial Year	IGST	CGS T	SGST	CESS	Total Tax including Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	Total							

4	<u>Declaration:</u> 1. I undertake that, no appeal under section 107 or section 112 of the said Act is pending against the order against which this rectification application is filed. 2. I declare that all information provided by me is accurate and truthful. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render this application void and may lead to recovery proceedings for the outstanding dues along with applicable interest and penalties.
----------	--

5	<u>Verification:</u> I _____ (name of the authorised signatory), hereby declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any incorrect declaration or suppression of facts will render my application void.
----------	---

Signature of authorised signatory

Name/Designation

Email address

Mobile No.

[File. No. Va.Kar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Ameet Kumar,
Commissioner,
Commercial taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं०.22/2024- राज्य कर

एस. ओ. सं. 21, दिनांक 9 जुलाई, 2025 - झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, जिसका पालन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा किया जाना है, जिनके विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय का गलत लाभ उठाने की मांग की पुष्टि की गई है, किंतु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाईल नहीं की गई है, आदेश के सुधार के लिए निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है अर्थात्:-

2. उक्त व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (4) के उपबंधों के उल्लंघन के कारण इनपुट कर प्रत्यय के गलत लाभ की मांग की पुष्टि करते हुए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर, यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 या धारा 107 या धारा 108 के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन फाईल करेगा, लेकिन जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय उक्त अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के उपबंधों के अनुसार अब उपलब्ध है, और जहां उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई है।

3. उक्त व्यक्ति, उक्त आवेदन के साथ, इस अधिसूचना के उपाबंध क में दिए गए प्रारूप में जानकारी अपलोड करेगा।

4. उक्त आदेश के सुधार को लागू करने के लिए उचित अधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसने ऐसा आदेश जारी किया था, और उक्त प्राधिकारी उक्त आवेदन पर विनिश्चय करेगा और उक्त आवेदन की तारीख से, जहां तक संभव हो, तीन महीने की अवधि के भीतर सुधारा हुआ आदेश जारी करेगा।

5. जहां पैरा 1 में निर्दिष्ट आदेश में कोई सुधार किया जाना अपेक्षित है, उक्त प्राधिकारी ने उसका सुधारित आदेश जारी कर दिया है, तो उक्त प्राधिकारी सुधारित आदेश का सारांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करेगा -

(i) प्रारूप जीएसटी डीआरसी-08 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है; और

(ii) प्रारूप जीएसटी एपीएल-04 में, ऐसे मामलों में जहां उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन जारी आदेश में सुधार किया गया है।

6. सुधार केवल ऐसे इनपुट कर प्रत्यय की मांग के संबंध में किया जाना अपेक्षित है, जो की कथित तौर पर उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों का उल्लंघन कर गलत रीति से प्राप्त किया गया है, किन्तु जहां ऐसा इनपुट कर प्रत्यय अब उक्त धारा 16 की उपधारा (5) अथवा उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध है।

7. जहां ऐसे सुधार से उक्त व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा सुधार करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

उपाबंध क

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के अधीन अधिसूचित आदेश के सुधार के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अधीन आदेश के सुधार के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपलोड किया जाने वाला प्ररूप

1. आधारभूत ब्यौरे :

(क) जीएसटीआईएन :

(ख) विधिक नाम :

(ग) व्यापार का नाम, यदि कोई हो :

(घ) आदेश जिसके संबंध में सुधार का आवेदन फाईल किया गया है :

(1) आदेश संदर्भ संख्यांक :

(2) आदेश तारीख :

2. उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

3. उपरोक्त क्रम संख्यांक 2 की सारणी में उल्लिखित रकम में से :

(क) झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (उक्त अधिनियम) की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त निवेश कर प्रत्यय की उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे जो अब धारा 16 की उपधारा (5) के अनुसार पात्र है :

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	कुल							

और/या

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उल्लंघन के कारण गलत तरीके से प्राप्त निवेश कर प्रत्यय के उक्त आदेश में पुष्ट किए गए मांग के ब्यौरे, उपरोक्त (क) में उल्लिखित से भिन्न, जो अब धारा 16 की उपधारा (6) के अनुसार पात्र है :

(रु. में रकम)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति
	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017-18							
	2018-19							
	2019-20							
	2020-21							
	2021-22							
	2022-23							
	कुल							

4. घोषणा:

1. मैं वचन देता हूँ / देती हूँ कि, उक्त अधिनियम की धारा 107 या धारा 112 के अधीन कोई अपील उस आदेश के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसके विरुद्ध यह सुधार आवेदन फाईल किया गया है।

2. मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना सही और सत्य है। मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि किसी भी असत्य घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन शून्य हो जाएगा और बकाया शोध्यों के साथ लागू ब्याज और शास्तियों के लिए वसूली की कार्यवाही की जा सकती है।

5. सत्यापन

मैं(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम), घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि किसी असत्य घोषणा या तथ्यों को छिपाने से मेरा आवेदन शून्य हो जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम/पदनाम

ईमेल पता

मोबाईल नं.

[सं.सं.वा0कर/जी0एस0टी0/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

अमीत कुमार,

आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग।
